

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(50/18)/2018/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 843 दिनांक 25.07.2014 (क्रम संख्या 01 पर अंकित) द्वारा श्रीमती कानकवर सोनी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टोंक (जिला टोंक) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 03.10.2015 से 30.01.2016 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।
2. दिनांक 31.01.2016 से 02.04.2016 तक 63 दिवस का असाधारण अवकाश।
3. दिनांक 13.05.2016 से 12.11.2016 तक 184 दिवस का असाधारण अवकाश।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(50/18)/2018/1734

दिनांक:- 08/08/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
2. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टोंक (जिला टोंक)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर